संख्या- 95 /2017 / 1713 /चार-2017 -406 (वि0)/ 2004 टीसी

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल (केन्द्र) , अयोध्या फैजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क का निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1497/सं0नि0-6(16)/10-11 दिनांक 16 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल (केन्द्र) , अयोध्या फैजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क का निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना व्यय वित्त समिति ने दिनांक 21-12-2011 में रू0 358.33 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल (केन्द्र) , अयोध्या फैजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क का निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रू0 642.88 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया और योजना की लागत धनराशि रू0 606.72 लाख मूल्यांकित की गयी है। अर्थात मूल्यांकित रू0 606.72-358.33 लाख को घटाते हुए रू0 248.39 लाख आंकलित की गयी है।

अत: शासनादेश संख्या- 166/2016/2283/चार-2016-406(विविध)/2004टीसी दिनांक 04 नवम्बर, 2016 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल (केन्द्र) , अयोध्या फैजाबाद के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क के निर्माण हेतु रू0 248.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 125.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 123.39 लाख (रूपये एक करोड तेइस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 166/2016/2283/चार-2016-406(विविध)/2004टीसी दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -16 अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 95 /2017/1713 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम लि0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-21, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम लि0 फैजाबाद।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/